



बिहार सरकार

रावण-वध

संशोधित आदेश

दशहरा- 2018 के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयादशमी के दिन दिनांक 19.10.2018 को किला मैदान, बक्सर में रावण-वध का कार्यक्रम है। रावण-वध कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। वर्ष 2017 में भी विजयादशमी के दिन किला मैदान में रावण-वध का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस वर्ष भी काफी संख्या में रावण-वध देखने के लिए लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। इतने अधिक संख्या में भीड़ को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस दायित्व को सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं विधि-व्यवस्था संधारण करने हेतु किला मैदान में जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक 10-3337/गो० दिनांक 14.10.2018 द्वारा व्यापक रूप से दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है (छाया प्रति संलग्न)। अपरिहार्य कारणवश "डी एरिया" एवं "रेडियल" में आंशिक संशोधन किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	प्रतिनियुक्ति स्थल	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम/पदनाम/मो० सं०	नव प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम/पदनाम/मो० सं०
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रावण वध स्थल/डी० एरिया क्रमांक- 07	डा० चौदनी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चक्की। मो०- 9431005140	श्रीमती लीलावती देवी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, बक्सर। मो०- 7369002063
2	रेडियल-1 A-C क्रमांक- 08	श्रीमती मीता सिंह, सहायक प्रबंधक (योजना), जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर। मो०- 9873667407	श्रीमती मालती देवी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, बक्सर। मो०- 9661437819

शेष आदेश यथावत रहेगा।

अनुलग्नक :- संयुक्त जिला आदेश की छाया प्रति।

ए.ए.
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-3372/गो०, बक्सर दिनांक 17/10/2018

प्रतिलिपि :- सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/नव प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- श्री बैकुण्ठ नाथ शर्मा, सचिव रामलीला कमिटी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- वितंतु पर्यवेक्षक, पुलिस रेडियो, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, अग्निशाम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी थानाध्यक्ष/ओपीओ प्रभारी/सभी पुलिस निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, समाहरणालय, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- डी०आई०ओ०, बक्सर/आई०टी० मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, बक्सर/उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/10/18
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।